सरकारों को विभिन्न शहरों और कस्बों में नौकरी करने वाली महिलाओं की होस्टल की आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए। सम्मेलन की सिफारिश को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रचालित किया गया था।

Accommodation to the Children's of Retiring Govt. Employees

3840. SHRI V. SREENIVASA PRASAD:
SHRI T. S. NEGI:
SHRI OSCAR FERNANDES:
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:
SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL:
DR. VASANT KUMAR PANDIT:
SHRI DAYA RAM SHAKYA:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1738 on the 23rd June, 1980 regarding Government accommodation to the children of the retiring Government employees and state:

(a) whether a final decision in this regard has since been taken;

(b) if so, what; and

(c) if not, what are the hurdles coming in the way of the Government in arriving at an early final decision in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter is under consideration and a final decision is expected to be taken shortly.

लखीमपुर खेरी जिले में सम्पूर्ण नगर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना करना

3841. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर खेड़ी जिले में सम्पूर्णानगर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई महीने पूर्व भेजा गया था, राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी लेकिन इस चीनी मिल की स्थापना के लिये अब तक अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस चीनी मिल की स्थापना के लिये एक लाइसेंस कब तक दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई 1250 टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता वाली सम्पूर्णानगर क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस देने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ग). जी, हां। लखीमपुर खेड़ी जिले में स्थित सम्पूर्णानगर में 1250 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता की सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिस्तावित किया गया है। प्रस्तावित कारखाने को स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में सरकार

जांच कर रही है । इस मिल को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए अथवा नहीं, यह बात गन्ने की उपलब्धता और अन्य संगत बातों के संदर्भ में परियोजना की व्यवहार्यता और सक्षमता सिद्ध होने पर निर्भर करेगी ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिये आयु सीमा बढ़ाया जाना

3842. **श्री कल्पनाथ सोनकर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में महिला प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ा कर 40 वर्ष कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पुरुष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख). दिल्ली के स्कूलों में, शिक्षकों के विभिन्न पदों पर भर्ती करने से सम्बन्धित भर्ती नियमों के अन्तर्गत, निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में, सभी महिला उम्मीदवारों के सम्बन्ध में 10 वर्ष की सामान्य ढील दे दी गई है । यह ढील इस आधार पर दी गई है कि बहुत सी महिलायें अपने विवाहित जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्य नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को उनकी छोटी आयु में अधिक समय देना पड़ता है और फिर उनके पतियों के स्थानान्तर प्रायः होते रहते हैं। पुरुष शिक्षकों के मामले में ऐसा नहीं है ।

Water Borne Diseases

3843. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a whether an apparatus developed by the National Environmental Engineering Research Institute for monitoring chlorination for estimating residual chlorine in drinking water had been provided in all the 5,80,000 villages in the country;

(b) if not, the reasons thereof;

(c) whether the State Governments had been advised to keep provision for such an apparatus while formulating schemes and whether UNICEF financial assistance had been sought for this apparatus and for the operation of Master Plan;

(d) if so, the details thereof and if not, reasons thereof; and

(e) how much amount is being spent by the Government in purification of drinking water and the money spent to test whether the proper chlorination of water has been effected?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) There are other similar apparatus for determining risidual chlorine in water. Further there are a large number of ground sources fitted with handpumps which are safe and hence no chlorination is adopted. In such cases, there is no need for this apparatus.

(c) and (d). The Manual on Water Supply and Treatment (1976) published by the Ministry of Works and Housing gives in detail under the Chapter 'Disinfection', the procedure for determination of chlorine residuals and also the levels of chlorine. This is being followed by